

राजस्थान सरकार

राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई— डी.पी.आई.पी.

(तृतीय तल,बी ब्लॉक, योजना भवन सी-स्कीम जयपुर, दुरभाष-2226175 फ़ैक्स.- 5104014)

प. 1(66)ग्रा.वि./डीपीआईपी/पी.ए./2003

जयपुर, दिनांक 9.11.2006

परिपत्र

गवर्निंग काउंसिल की आठवी बैठक दिनांक 9.11.2006 में प्रस्तुत एजेण्डा न. 4 “ नई सीआईजी के गठन में बीपीएल की सूची के निर्णयन बाबत” के क्रम में बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. जिन समान रूचि समूहों का गठन 1997 की बीपीएल सूची के आधार पर हुआ है, एवं उप परियोजनायें स्वीकृत हो चुकी है उसमें यथावत राशि हस्तान्तरित कर परियोजना को पूर्ण किया जावेगा।
2. ऐसी समान रूचि समूह जिनका गठन एवं अनुमोदन 1997 की बीपीएल सूची के आधार पर दिनांक 9.11.2006 तक किया जा चुका है एवं उप परियोजनायें स्वीकृत नहीं हुई हैं, उनको उप परियोजनायें स्वीकृत किया जा कर परियोजना का लाभ दिया जावेगा।
3. ऐसे समान रूचि समूह जिनका गठन 1997 की बीपीएल सूची के आधार पर दिनांक 9.11.06 तक किया जा चुका है एवं अनुमोदन हेतु प्रस्ताव जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई में लम्बित है ऐसे समूहों का अनुमोदन तत्काल कर उप परियोजनायें स्वीकृत की जावेगी।
4. आज दिनांक 9.11.2006 के पश्चात् समस्त नवीन समान रूचि समूहों का गठन नई बीपीएल सूची 2002 के अनुसार किया जावेगा।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते हैं। सभी जिला परियोजना प्रबन्धकों को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

(अभय कुमार)

राज्य परियोजना निदेशक,

डीपीआईपी

प्रतिलिपि:—

1. माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
2. माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
3. श्री मानिक चंद सुराणा, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य वित्त आयोग, जयपुर ।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास), राजस्थान, जयपुर ।
5. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
6. प्रमुख शासन सचिव, (आयोजना एवं वित्त), जयपुर ।
7. शासन सचिव (वित्त व्यय), जयपुर ।
8. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर ।
9. सचिव (आयोजना), आयोजना विभाग, जयपुर ।
10. जिला कलेक्टर, बारां, चूरू, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, राजसमन्द एवं टोंक ।
11. उप सचिव वित्त (व्यय-1), विभाग, जयपुर ।
12. उप निदेशक, पी.एम.यू. आयोजना विभाग, जयपुर ।
13. जिला परियोजना प्रबन्धक, बारां, चूरू, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, राजसमन्द एवं टोंक ।
14. रक्षित पत्रावली ।

अतिरिक्त निदेशक